राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0)
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
प्रथम तल,पर्यटन भवन,विपिन खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ 226010

दूरभाष एवं फैक्सः 0522–2307798 e-mail:nulmup@gmail.com ebsite:www.sudaup.org

पत्रांक 3160 /241/एनयूएलएम/तीन/2001(CB&T)TC-III दिनांक 12-6-17

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
   जिला नगरीय विकास अभिकरण,
   उ0प्र0।
2. समस्त परियोजना निदेशक/सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर
   जिला नगरीय विकास अभिकरण/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई,
   उ0प्र0।

विषय : दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत समस्त जनपदों में नियुक्त किये गये शहर मिशन प्रबन्धक एवं सामुदायिक आयोजकों (सी0ओ0) को अपने शहरों में वार्डवार कार्य आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या–3160/241/NULM/तीन/2001(CB&T) दिनांक 16.11.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके माध्यम से शहर मिशन प्रबन्धक एवं सामुदायिक आयोजकों के कार्यक्षेत्र का बटवांरा एवं उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यो/उत्तरदायित्व का विवरण तैयार कर पूर्व में इस आशय से प्रेषित किया गया था कि मिशन प्रबन्धकों एवं सामुदायिक आयोजकों को तदनुसार कार्यो/क्षेत्रों का बटवांरा कर DAY-NULM का संचालन तेजी से सुनिश्चित कराते हुए आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित किया जाय।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि विगत माहों में CMM एवं CO's के साथ की गई समीक्षा, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मिले फीडबैक एवं चर्चा से ज्ञात हुआ है कि इस कार्यालय द्वारा मिशन प्रबन्धकों एवं सामुदायिक आयोजकों हेतु निर्गत कार्य बटवांरा एवं क्षेत्र बटवांरा आदि का शहरों में सुचारु रुप से अनुपालन नही हो पा रहा है। जिसके दृष्टिगत मिशन के अन्तर्गत अपेक्षित प्रगति नही हो पा रही है, यह अत्यन्त खेदजनक स्थिति है कि स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त भी संबंधित कर्मियों को सी0एम0एम0यू0, डूडा द्वारा कार्यों/क्षेत्रों का बटवांरा नही किया गया है।

मिशन के सफल संचालन एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक है कि प्रस्तर 1 में उल्लिखित पत्र में दिये गये विवरण के अनुसार CMM & CO के कार्यों/क्षेत्रों का बटवांरा तत्काल करके संबंधित कर्मियों को लक्ष्यों की ससमय शतप्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नक–यथोपरि

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त परियोजना अधिकारी/ सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त शहर मिशन प्रबन्धकों/सामुदायिक आयेजकों को अनुपालनार्थ प्रेषित।
3. सहायक वेबमास्टर, सूडा उ0प्र0 को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

संलग्नकः– 1

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत सामुदायिक आयोजको के कार्य क्षेत्र का बटवांरा एवं उत्तरदायित्व

सामुदायिक आयोजकों को कार्यक्षेत्रों का बटवारा – मिशन में दिशानिर्देशों के अनुसार आपके शहर में 3000 शहरी गरीब परिवारों हेतु एक सामुदायिक आयोजक के माध्यम से एन0यू0एल0एम0 के सभी उपघटकों के क्रियान्वयन कराया जाना है अपतु शासन से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में प्रथम चरण में अपेक्षित संख्या से कम सामुदायिक अयोजकों का चयन आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से किया गया है। इस प्रकार शहर विशेष हेतु उपलब्ध कराये गये सामुदायिक आयोजकों के सुचारू रूप से कार्य सम्पादन हेतु वर्तमान में शहर को उपलब्ध कराये गये सामुदायिक आयोजकों की संख्या के आधार पर क्षेत्र बांटकर कार्य लिया जाना है। क्षेत्र आवंटन करते समष्य में विशेष ध्यान इस बात पर दिया जाना है कि सभी सामुदायिक आयोजकों को लगभग समान संख्या में शहरी गरीब परिवार आवंटित हो जिसके लिए शहरी जनसंख्या में लगभग 25 से 30 प्रतिशत शहरी गरीबों को आधार मानकर क्षेत्र का आवंटन किया जाये। क्षेत्र आवंटन करते समय वार्डो के कलस्टर एवं जोन का भी ध्यान रखा जाये। इस प्रकार शहर का क्षेत्र किसी एक सामुदायिक आयोजक को दिया जाये। किसी भी सामुदायिक आयोजक को कई भागों में क्षेत्र का आवंटन कदापि न किया जाये। क्षेत्र आवंटन का डिमार्केशन शहर के मानचित्र पर भी करके कार्यालय में चस्पा कर दिया जाये।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार सामुदायिक आयोजकों के कार्य क्षेत्र का बंटवारा कर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सभी उपघटकों का काम शहरी गरीबों को उपलब्ध कराने हेतु युद्धस्तर पर कार्यो का समन्वयन कर शहर को आवंटित लक्ष्यों को पूर्ण किया जाना है। लक्ष्यों की पूर्ति हेतु क्षेत्रवार लक्ष्यों का स्थानीय आवश्यकता के अनुसार आवंटन कर पूर्ति की जा सकती है।

उल्लेखनीय है कि लखनऊ में तैनात किये गये सामुदायिक आयोजकों के कार्य क्षेत्र का बंटवारा उदाहरण स्वरूप संलग्न किया जा रहा है। इसी प्रकार सभी शहरों की अपने–अपने शहरों में तैनात सामुदायिक आयोजकों को क्षेत्रों का बंटवारा कर एन0यू0एल0एम0 का क्रियान्वयन कराया जाना है।

सामुदायिक आयोजकों को नियमित कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। सामुदायिक आयोजक से निर्धारित संलग्न प्रारूप पर साप्ताहिक कार्य योजना बनवाकर कार्य कराया जाये तथा सभी सामुदायिक आयोजक को उनके आवास/निवास के करीब वाला क्षेत्र सघन अन्तः क्रिया हेतु आवंटित किया जाये। सामुदायिक आयोजक के क्षेत्र विशेष में यदि सामुदायिक केन्द्र हो तो उस सामुदायिक केन्द्र को सम्पर्क स्थल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जहां शहरी गरीबों को एक निश्चित समय पर सामुदायिक आयोजकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराकर लाभान्वित किया जाये। उस सामुदायिक केन्द्र पर एन0यू0एल0एम0 एवं गरीबों के हितार्थ विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी के पम्पलेट/विवरण भी रखना सुनिश्चित किया जाये। सामुदायिक आयोजकों को सी0यू0जी0 उपलब्ध कराया गया है जिसके माध्यम से सी0एम0एम0यू0 द्वारा सतत् अनुश्रवण किया जाये तथा आवश्यकतानुसार रिपोर्टिंग के अतिरिक्त दिवसों में भी बुलाया जा सकता है।

सामुदायिक अयोजकों के उत्तरदायित्व :– सामुदायिक आयोजकों द्वारा अपने क्षेत्र विशेष हेतु गरीबी उन्मूलन हेतु समग्र विकास की अवधारणा पर कार्यो का सम्पादन करना है। मुख्य कार्यो का विवरण निम्नवत है :–

- अपने क्षेत्र विशेष में सामाजिक गतिशीलता सुनिश्चित करना– मुख्य रूप से शहरी गरीबों को गतिशील करना।
- शहरी गरीब समुदायों को समूहों एवं उनके फेडरेशन में आने के लिए गतिशील करना।
- अपने क्षेत्र विशेष में एन0यू0एल0एम0 के सभी घटकों का क्रियान्वयन करना।
- समुदाय स्तरीय आकड़ों का संकलन उपलब्ध अवस्थापना सेवाओं की जानकारी एकत्र करना, गैप का विश्लेषण तथा गैप को पूर्ण कराने हेतु समन्वयन के माध्यम से प्रयास कर गैप को कम कराना।
- समुदाय स्तरीय आकड़ों का समय–समय पर अपडेशन।
- एस0एच0जी0 एवं उनके फेडरेशन को मजबूती देना तथा कन्वर्जन के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं को सुगम कराना।
- एस0एच0जी0 का बैंकों से जुडाव–खाता खोलने में सहयोग करना, केडिट लिमिट दिलवाना आदि।
- विभिन्न सरकारी योजनाओं से समन्वयन कर अपने क्षेत्र के लोगों को सुगम कराना।
- एन0यू0एल0एम0 में सर्वेक्षण–आंकड़ों का एकत्रीकरण एवं संकलन।
- सामुदायिक अवस्थापना सुविधाओं के रखरखाव में सहयोग करना।
- केस स्टडीज, अच्छे प्रयासों का अभिलेखीकरण कर एस0एम0एम0यू0 को सी0एम0एम0यू0 के माध्यम से उपलब्ध कराना।
- समुदाय स्तर पर बैठकों का आयोजन करना, आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण का आयोजन करना।
- पीरियाडिक – पीरियाडिक रिपोर्टिंग बनाना तथा कार्य योजनानुरूप कार्य का सम्पादन करना एवं रिपोर्ट सी0एम0एम0यू0 को देना।
- सी0एम0एम0यू0 द्वारा दिये गये अन्य सभी कार्यों/योजनाओं का सम्पादन करना।
- शहरी के क्षेत्र विशेष में रहने वाले शहरी गरीबों का बैंको में खाता खुलवाना, समाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ना, वित्तीय समावेश हेतु कार्य करना।
- शहरी आजीविका केन्द्र का आत्मनिर्भता के सिद्धान्त पर संचालन हेतु सहयोग।
- शहरी बेघरों को गतिशील कर सुविधा उपलब्ध आश्रय की दिलाना।
- शहरी पथ विक्रेताओं एवं शहरी गरीबों की स्थाई आजीविका हेतु एन0यू0एल0एम0 के उपघटकों से सहायता उपलब्ध कराना।

संलग्नकः– 2

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत शहर मिशन प्रबन्धकों के उत्तरदायित्व

I. शहर जहॉ 03 विशेषज्ञ उपलब्ध कराये गये है:–

शहर मिशन प्रबन्धक (सामाजिक विकास एवं अवस्थापना)

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के दिशा निर्देशानुसार शहर मिशन प्रबन्धक सामाजिक विकास एवं अवस्थापना निम्न घटको के क्रियान्वयन उत्तरदायी हेतु उत्तरदायित्व होगा।

1. सामाजिक गतीशीलता एवं संस्थागत विकास
2. शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना
3. शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना

1. समाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास, शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना एवं शहरी पथ विक्रेताओं हेतु सहायता योजना के अन्तर्गत मुख्य उत्तरदायित्वः–

1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के दिशा निर्देशों में उल्लिखित बिन्दुओं की पहुँच शहर में सभी स्टेक होल्डर तक सुनिश्चित करना।
2. शहर में गतिशीलता एवं संस्थागत विकास घटक के क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना विकसित कर तदनुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना।
3. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक समाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास, शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना एवं शहरी पथ विक्रेताओं हेतु सहायता योजना हेतु शहर को आवंटित लक्ष्यों को पूर्ण कराना।
4. उक्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सामुदायिक गतिशीलता, स्वयं सहायता समूहो एवं उनके फेडरेशन का गठन कराना तथा कार्यकारी बनाना एवं उनको रिवाल्विंग फण्ड दिलवाना।
5. शहरी आजीविका केन्द्र का आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त पर प्रस्ताव तैयार कराकर, राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना, स्वीकृत कराना तथा स्वीकृतोपरान्त सघन मानीटिरिंग के माध्यम से विधिवत संचालन कराते हुए आत्मनिर्भर बनाना, निर्धारित प्रारुप पर आख्या राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई (SMMU) को उपलब्ध कराना।
6. वेण्डर विकास योजना, वेण्डर मार्केट विकास कार्य योजना, गाइड लाइन के अनुसार तैयार कराना क्रियान्वित कराना।
7. शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव तैयार कराना स्वीकृत कराना, शेल्टर निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराना, शहरी बेघरों को शेल्टर्स में आश्रय हेतु चिन्हित कर गतिशील कराना तथा उन्हे शेल्टर्स में आश्रय उपलब्ध कराना।
8. शेल्टर्स का सुचारु रुप से दिशा निर्देशों के अनुसार संचालन सुनिश्चित कराना।
9. सामुदायिक आयोजकों को आवश्यकतानुसार सतत् तकनीकी सहायता देना।

10. शहर में स्वयं सहायता समूह, क्षेत्र स्तरीय फेडरेशन एवं शहर स्तरीय फेडरेशन की स्थापना सुनिश्चित कराना।
11. सन्दर्भ संस्थाओं को आवश्यकतानुसार तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना विशेष रुप से SHG के बैंक लिंकेज एवं रिवाल्विंग फण्ड की ससमय उपलब्धता के सम्बन्ध में सहायता देना।
12. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उदेश्यों की पूर्ति हेतु सामाजिक गतिशीलता के अन्तर्गत विभिन्न विभागों/एजेन्सियों से समन्वयन के आधार पर लिंकेज के माध्यम से शहरी गरीबों के समग्र विकास हेतु विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलावाना/सुगम कराना।
13. सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास उपघटक की सभी स्तरो हेतु रिपोर्टिंग सुनिश्चित कराना।
14. राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन के अन्तर्गत शहरों में कार्यरत अन्य मिशन प्रबन्धकों से घनिष्ठ कार्य सम्बन्धों के माध्यम से राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन शहर में सुनिश्चित कराना।
15. शहर मिशन प्रबन्धन इकाई (CMMU) द्वारा दिये गये अन्य सभी कार्यों का समयबद्ध सम्पादन करना।

2. शहर मिशन प्रबन्धक (फाइनेन्शियल इन्क्लूशन एवं माइक्रो इण्टरप्राइजेज)

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के दिशा निर्देशानुसार शहर मिशन प्रबन्धक सामाजिक विकास एवं अवस्थापना निम्न घटको के क्रियान्वयन उत्तरदायी हेतु उत्तरदायित्व होगा।

1. कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार
2. स्वरोजगार कार्यक्रम
3. अभिनव एवं विशेष परियोजनाएं

कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार के अन्तर्गत मुख्य उत्तरदायित्वः–

1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से मिशन के दिशा निर्देशों में उल्लिखित गतिविधियों के बारें में जानकारी की पहुँच शहर में सभी स्टेक होल्डर तक सुनिश्चित कराना।
2. कौशल विकास प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट उपघटक को शहर में क्रियान्वित किये जाने हेतु मिशन के दिशा निर्देशो के क्रम में शहर हेतु कार्य योजना तैयार कर तदनुसार क्रियान्वयन कराना।
3. कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन (EST&P) के अन्तर्गत शहर को आवंटित लक्ष्यों को पूर्ण कराये जाने का उत्तरदायित्व।
4. कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (EST&P) के क्रियान्वयन हेतु शहर स्तर पर कौशल प्रदाता संस्थाओं एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओं को चिन्हित करना,

4. इम्पैनल्ड संस्थाओं की सधन मानीटिरिंग कर गुणात्मक कौशल प्रशिक्षण सुनिश्चित कराना।
5. सामुदायिक आयोजको को आवश्यकतानुसार सतत् तकनीकी सहायता सुनिश्चित कराना।
6. इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, स्किल डेवलेपमेंट मिशन, स्किल सेक्टर कौंसिल, संबंधित विभागों, सन्दर्भ संस्थानों एवं अन्य संबंधित एजेन्सियों से कौशल विकास प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट हेतु समन्वय के आधार पर प्रशिक्षित लाभार्थियों का प्लेसमेन्ट सुनिश्चित कराना।
7. कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (EST&P) उपघटक की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना।
8. राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन के अन्तर्गत शहरों में कार्यरत अन्य मिशन प्रबन्धकों से घनिष्ठ कार्य सम्बन्धों के माध्यम से राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन शहर में सुनिश्चित कराना।
9. शहर मिशन प्रबन्धन इकाई (CMMU) द्वारा दिये गये अन्य सभी कार्यों कर सम्पादन करना।

स्वरोजगार कार्यक्रम एण्ड माइक्रो इण्टरप्राइजेज के अन्तर्गत मुख्य उत्तरदायित्वः–

1. शहर में संबंधित सभी स्टेक होल्डर तक स्वरोजगार कार्यक्रम एण्ड माइक्रो इण्टरप्राइजेज

   हेतु राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के दिशा निर्देशों में उल्लिखित बिन्दुओं की पहुँच सुनिश्चित कराना।
2. शहर में स्वरोजगार कार्यक्रम एवं यूनिर्वसल फाइनेंशियल इन्कलूशन के क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना तैयार कर तदनुसार इस घटक के एजेण्डा का क्रियान्वयन कराना।
3. स्वरोजगार कार्यक्रम एवं यूनिर्वसल फाइनेंशियल इन्कलूशन के अन्तर्गत आवंटित लक्ष्यों को पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व।
4. समाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूह एवं अन्य सदस्यों का बैंक लिंकेज सुनिश्चित कराना।
5. शहर के शहरी गरीबों को माइक्रो इन्टरप्राइजेज की स्थापना एवं ऋणु की उपलब्धता में आवश्यक सभी सहयोग प्रदान कराना।
6. सामुदायिक आयोजको को आवश्यकतानुसार सतत् तकनीकि सहायता सुनिश्चित कराना।
7. शहरी गरीबों के स्वरोजगार की स्थापना एवं वित्तीय समावेशन हेतु संबंधित वित्तीय संस्थाओं (बैंक/एजेन्सी) एवं अन्य संबंधित विभागों से समन्वयक के माध्यम से लिंकेजेज सुनिश्चित कराना।
8. स्वरोजगार कार्यक्रम एवं यूनिर्वसल फाइनेंशियल इन्कलूशन की रिर्पोटिंग सुनिश्चित करना।

9. राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन के अन्तर्गत शहरों में कार्यरत अन्य मिशन प्रबन्धकों से घनिष्ठ कार्य सम्बन्धों के माध्यम से राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन शहर में सुनिश्चित कराना।
10. शहर मिशन प्रबन्धन इकाई (CMMU) द्वारा दिये गये अन्य सभी कार्यों कर समयबद्ध सम्पादन करना।
11. SEP हेतु लगर स्तर पर गठित टास्क फोर्स की समय–समय पर बैठक आयोजित कराना।

<u>अभिनवी एवं विशेष परियोजनाएं के अन्तर्गत मुख्य उत्तरदायित्वः–</u>

1. अभिनवी एवं विशेष परियोजनाओं के प्रस्ताव मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार कराकर शहर विशेष की आवश्यकता के परिपेक्ष्य में निर्देशों के कम में परीक्षण कर SMMU को उपलब्ध कराना।
2. अभिनवी परियोजनाओं के स्वीकृत हेतु समन्वयन।
3. अभिनवी परियोजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं देख–रेख तथा रिपोर्टिंग का उत्तरदायित्व।

3. <u>शहर मिशन प्रबन्धक (MIS & ME):–</u>

1. राज्य शहरी आजीविका मिशन के सभी उपघटकों (अभिनवी एवं विशेष परियोजना सहित) की मानीटरिंग हेतु कार्य योजना तैयार कर तदनुसार मानीटरिंग करना।
2. राज्य शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत सभी घटको का NULM MIS का सुचारु रुप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, MIS मैनुअल का अध्ययन कर MIS पर सभी घटकों के शहर स्तरीय आकड़ों को अपलोड कर नियमित अपडेट करना, आन लाइन मासिक प्रगति रिपोर्ट राज्य शहर मिशन प्रबंधन इकाई को भेजना तथा राज्य/शहर स्तर पर समय–समय पर मांगी जाने वाली विभिन्न आख्याओं को तैयार कर ससमय उपलब्ध कराना, मासिक रिपोर्ट राज्य शहरी मिशन प्रबंधन इकाई को भेजना।
3. शहर में सभी उपघटकों की मानीटरिंग ससमय करना।
4. ससमय राज्य मिशन प्रबंधन इकाई को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एवं अन्य रिपोर्ट की उपलब्धता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व।
5. सामुदायिक आयोजको को आवश्यकतानुसार सतत् तकनीकी सहायता देना।
6. शहर स्तर पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सभी उपघटकों (अभिनवी एवं विशेष परियोजना सहित) की मानीटरिंग एवं रिपोर्टिंग व्यवस्था विकसित करना जैसे बेसलाइन स्टडी, मासिक प्रगति आख्या, प्रक्रियात्मक अभिलेख (Process Documentation) आदि।
7. राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन के अन्तर्गत शहरों में कार्यरत अन्य मिशन प्रबन्धकों से घनिष्ठ कार्य सम्बन्धों के माध्यम से राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन शहर में सुनिश्चित कराना।
8. शहर मिशन प्रबन्धन इकाई (CMMU) द्वारा दिये गये अन्य सभी कार्यों कर समयबद्ध सम्पादन करना।

II. शहर जहॉ 02 विशेषज्ञ उपलब्ध कराये गये है:-

1. शहर मिशन प्रबन्धक (सामाजिक विकास एवं अवस्थापना)

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के दिशा निर्देशानुसार शहर मिशन प्रबन्धक सामाजिक विकास एवं अवस्थापना निम्न घटको के क्रियान्वयन उत्तरदायी हेतु उत्तरदायित्व होगा।

1. सामाजिक गतीशीलता एवं संस्थागत विकास
2. शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना
3. शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना
4. अभिनवी एवं विशेष परियोजनाएं

1. समाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास, शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना एवं शहरी पथ विक्रेताओं हेतु सहायता योजना

1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के दिशा निर्देशों में उल्लिखित बिन्दुओं की पहुँच शहर में सभी स्टेक होल्डर तक सुनिश्चित करना।
2. शहर में गतिशीलता एवं संस्थागत विकास घटक के क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना विकसित कर तदनुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना।
3. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक समाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास, शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना एवं शहरी पथ विक्रेताओं हेतु सहायता योजना हेतु शहर को आवंटित लक्ष्यों को पूर्ण कराना।
4. उक्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सामुदायिक गतिशीलता, स्वयं सहायता समूहो एवं उनके फेडरेशन का गठन कराना तथा कार्यकारी बनाना एवं उनको रिवाल्विंग फण्ड दिलवाना।
5. शहरी आजीविका केन्द्र का आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त पर प्रस्ताव तैयार कराकर, राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना, स्वीकृत कराना तथा स्वीकृतोपरान्त सघन मानीटिरिंग के माध्यम से विधिवत संचालन कराते हुए आत्मनिर्भर बनाना, निर्धारित प्रारुप पर आख्या राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई (SMMU) को उपलब्ध कराना।
6. वेण्डर विकास योजना, वेण्डर मार्केट विकास कार्य योजना, गाइड लाइन के अनुसार तैयार कराना क्रियान्वित कराना।
7. शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव तैयार कराना स्वीकृत कराना, शेल्टर निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराना, शहरी बेघरों को शेल्टर्स में आश्रय हेतु चिन्हित कर गतिशील कराना तथा उन्हे शेल्टर्स में आश्रय उपलब्ध कराना।
8. शेल्टर्स का सुचारु रुप से दिशा निर्देशों के अनुसार संचालन सुनिश्चित कराना।
9. सामुदायिक आयोजकों को आवश्यकतानुसार सतत् तकनीकी सहायता देना।
10. शहर में स्वयं सहायता समूह, क्षेत्र स्तरीय फेडरेशन एवं शहर स्तरीय फेडरेशन की स्थापना सुनिश्चित कराना।

11. सन्दर्भ संस्थाओं को आवश्यकतानुसार तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना विशेष रुप से SHG के बैंक लिंकेज एवं रिवाल्विंग फण्ड की ससमय उपलब्धता के सम्बन्ध में सहायता देना।
12. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उदेश्यों की पूर्ति हेतु सामाजिक गतिशीलता के अन्तर्गत विभिन्न विभागों/एजेन्सियों से समन्वयन के आधार पर लिंकेज के माध्यम से शहरी गरीबों के समग्र विकास हेतु विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलावाना/सुगम कराना।
13. सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास उपघटक की सभी स्तरो हेतु रिपोर्टिंग सुनिश्चित कराना।
14. राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन के अन्तर्गत शहरों में कार्यरत अन्य मिशन प्रबन्धकों से घनिष्ठ कार्य सम्बन्धों के माध्यम से राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन शहर में सुनिश्चित कराना।
15. शहर मिशन प्रबन्धन इकाई (CMMU) द्वारा दिये गये अन्य सभी कार्यों का समयबद्ध सम्पादन करना।

2. अभिनवी एवं विशेष परियोजनाएं

1. अभिनवी एवं विशेष परियोजनाओं के प्रस्ताव मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार कराकर शहर विशेष की आवश्यकता के परिपेक्ष्य में निर्देशों के कम में परीक्षण कर SMMU को उपलब्ध कराना।
2. अभिनवी परियोजनाओं के स्वीकृत हेतु समन्वयन।
3. अभिनवी परियोजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं देख–रेख तथा रिपोर्टिंग का उत्तरदायित्व।

शहर मिशन प्रबन्धक (फाइनेन्शियल इन्क्लूशन एवं माइक्रो इण्टरप्राइजेज)

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के दिशा निर्देशानुसार शहर मिशन प्रबन्धक सामाजिक विकास एवं अवस्थापना निम्न घटको के क्रियान्वयन उत्तरदायी हेतु उत्तरदायित्व होगा।

1. कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार
2. स्वरोजगार कार्यक्रम
3. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सभी उपघटकों हेतु MIS & ME का इम्पलीमेंन्टेशन

कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार के अन्तर्गत मुख्य उत्तरदायित्वः–

1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से मिशन के दिशा निर्देशों में उल्लिखित गतिविधियों के बारें में जानकारी की पहुँच शहर में सभी स्टेक होल्डर तक सुनिश्चित कराना।

2. कौशल विकास प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट उपघटक को शहर में क्रियान्वित किये जाने हेतु मिशन के दिशा निर्देशो के क्रम में शहर हेतु कार्य योजना तैयार कर तदनुसार क्रियान्वयन कराना।
3. कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन (EST&P) के अन्तर्गत शहर को आवंटित लक्ष्यों को पूर्ण कराये जाने का उत्तरदायित्व।
4. कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (EST&P) के क्रियान्वयन हेतु शहर स्तर पर कौशल प्रदाता संस्थाओं एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओं को चिन्हित करना, इम्पैनल्ड संस्थाओं की सधन मानीटिरिंग कर गुणात्मक कौशल प्रशिक्षण सुनिश्चित कराना।
5. सामुदायिक आयोजको को आवश्यकतानुसार सतत् तकनीकी सहायता सुनिश्चित कराना।
6. इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, स्किल डेवलेपमेंट मिशन, स्किल सेक्टर कौंसिल, संबंधित विभागों, सन्दर्भ संस्थानों एवं अन्य संबंधित एजेन्सियों से कौशल विकास प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट हेतु समन्वय के आधार पर प्रशिक्षित लाभार्थियों का प्लेसमेन्ट सुनिश्चित कराना।
7. कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (EST&P) उपघटक की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना।
8. राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन के अन्तर्गत शहरों में कार्यरत अन्य मिशन प्रबन्धकों से घनिष्ठ कार्य सम्बन्धों के माध्यम से राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन शहर में सुनिश्चित कराना।
9. शहर मिशन प्रबन्धन इकाई (CMMU) द्वारा दिये गये अन्य सभी कार्यों कर सम्पादन करना।

स्वरोजगार कार्यक्रम एण्ड माइक्रो इण्टरप्राइजेज के अन्तर्गत मुख्य उत्तरदायित्वः–

1. शहर में संबंधित सभी स्टेक होल्डर तक स्वरोजगार कार्यक्रम एण्ड माइक्रो इण्टरप्राइजेज हेतु राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के दिशा निर्देशों में उल्लिखित बिन्दुओं की पहुँच सुनिश्चित कराना।
2. शहर में स्वरोजगार कार्यक्रम एवं यूनिर्वसल फाइनेंशियल इन्कलूशन के क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना तैयार कर तदनुसार इस घटक के एजेण्डा का क्रियान्वयन कराना।
3. स्वरोजगार कार्यक्रम एवं यूनिर्वसल फाइनेंशियल इन्कलूशन के अन्तर्गत आवंटित लक्ष्यों को पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व।
4. समाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूह एवं अन्य सदस्यों का बैंक लिंकेज सुनिश्चित कराना।
5. शहर के शहरी गरीबों को माइक्रो इन्टरप्राइजेज की स्थापना एवं ऋणु की उपलब्धता में आवश्यक सभी सहयोग प्रदान कराना।
6. सामुदायिक आयोजको को आवश्यकतानुसार सतत् तकनीकि सहायता सुनिश्चित कराना।

7. शहरी गरीबों के स्वरोजगार की स्थापना एवं वित्तीय समावेशन हेतु संबंधित वित्तीय संस्थाओं (बैंक/एजेन्सी) एवं अन्य संबंधित विभागों से समन्वयक के माध्यम से लिंकेजेज सुनिश्चित कराना।
8. स्वरोजगार कार्यक्रम एवं यूनिर्वसल फाइनेंशियल इन्कलूशन की रिर्पोटिंग सुनिश्चित करना।
9. राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन के अन्तर्गत शहरों में कार्यरत अन्य मिशन प्रबन्धकों से घनिष्ठ कार्य सम्बन्धों के माध्यम से राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन शहर में सुनिश्चित कराना।
10. शहर मिशन प्रबन्धन इकाई (CMMU) द्वारा दिये गये अन्य सभी कार्यों कर समयबद्ध सम्पादन करना।
11. SEP हेतु लगर स्तर पर गठित टास्क फोर्स की समय–समय पर बैठक आयोजित कराना।

3. **MIS & ME का कार्यः–**

1. राज्य शहरी आजीविका मिशन के सभी उपघटकों (अभिनवी एवं विशेष परियोजना सहित) की मानीटरिंग हेतु कार्य योजना तैयार कर तदनुसार मानीटरिंग करना।
2. राज्य शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत सभी घटको का NULM MIS का सूचारु रुप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, MIS मैनुअल का अध्ययन कर MIS पर सभी घटकों के शहर स्तरीय आकड़ों को अपलोड कर नियमित अपडेट करना, आन लाइन मासिक प्रगति रिपोर्ट राज्य शहर मिशन प्रबंधन इकाई को भेजना तथा राज्य/शहर स्तर पर समय–समय पर मांगी जाने वाली विभिन्न आख्याओं को तैयार कर ससमय उपलब्ध कराना, मासिक रिपोर्ट राज्य शहरी मिशन प्रबंधन इकाई को भेजना।
3. शहर में सभी उपघटकों की मानीटरिंग ससमय करना।
4. ससमय राज्य मिशन प्रबंधन इकाई को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एवं अन्य रिपोर्ट की उपलब्धता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व।
5. सामुदायिक आयोजको को आवश्यकतानुसार सतत् तकनीकी सहायता देना।
6. शहर स्तर पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सभी उपघटकों (अभिनवी एवं विशेष परियोजना सहित) की मानीटरिंग एवं रिपोर्टिंग व्यवस्था विकसित करना जैसे बेसलाइन स्टडी, मासिक प्रगति आख्या, प्रक्रियात्मक अभिलेख (Process Documentation) आदि।
7. राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन के अन्तर्गत शहरों में कार्यरत अन्य मिशन प्रबन्धकों से घनिष्ठ कार्य सम्बन्धों के माध्यम से राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन शहर में सुनिश्चित कराना।
8. शहर मिशन प्रबन्धन इकाई (CMMU) द्वारा दिये गये अन्य सभी कार्यों कर समयबद्ध सम्पादन करना।

शहर जहॉ 01 मिशन प्रबन्धक उपलब्ध कराये गये है

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के दिशा निर्देशानुसार शहर मिशन प्रबन्धक सामाजिक विकास एवं अवस्थापना निम्न घटको एवं MIS&ME के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा।

1. समाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास
2. शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना
3. शहरी पथ विक्रेताओं हेतु सहायता योजना
4. कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार
5. स्वरोजगार कार्यक्रम
6. अभिनवी एवं विशेष परियोजनाएं
7. एम0आई0एस0 एण्ड एम0ई0

समाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास, शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना एवं शहरी पथ विक्रेताओं हेतु सहायता योजना

1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के दिशा निर्देशों में उल्लिखित बिन्दुओं की पहुँच शहर में सभी स्टेक होल्डर तक सुनिश्चित करना।
2. शहर में गतिशीलता एवं संस्थागत विकास घटक के क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना विकसित कर तदनुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना।
3. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक समाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास, शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना एवं शहरी पथ विक्रेताओं हेतु सहायता योजना हेतु शहर को आवंटित लक्ष्यों को पूर्ण कराना।
4. उक्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सामुदायिक गतिशीलता, स्वयं सहायता समूहो एवं उनके फेडरेशन का गठन कराना तथा कार्यकारी बनाना एवं उनको रिवाल्विंग फण्ड दिलवाना।
5. शहरी आजीविका केन्द्र का आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त पर प्रस्ताव तैयार कराकर, राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना, स्वीकृत कराना तथा स्वीकृतोपरान्त सघन मानीटिरिंग के माध्यम से विधिवत संचालन कराते हुए आत्मनिर्भर बनाना, निर्धारित प्रारुप पर आख्या राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई (SMMU) को उपलब्ध कराना।
6. वेण्डर विकास योजना, वेण्डर मार्केट विकास कार्य योजना, गाइड लाइन के अनुसार तैयार कराना क्रियान्वित कराना।
7. शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव तैयार कराना स्वीकृत कराना, शेल्टर निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराना, शहरी बेघरों को शेल्टर्स में आश्रय हेतु चिन्हित कर गतिशील कराना तथा उन्हे शेल्टर्स में आश्रय उपलब्ध कराना।
8. शेल्टर्स का सुचारु रुप से दिशा निर्देशों के अनुसार संचालन सुनिश्चित कराना।
9. सामुदायिक आयोजकों को आवश्यकतानुसार सतत् तकनीकी सहायता देना।
10. शहर में स्वयं सहायता समूह, क्षेत्र स्तरीय फेडरेशन एवं शहर स्तरीय फेडरेशन की स्थापना सुनिश्चित कराना।

11. सन्दर्भ संस्थाओं को आवश्यकतानुसार तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना विशेष रुप से SHG के बैंक लिंकेज एवं रिवाल्विंग फण्ड की ससमय उपलब्धता के सम्बन्ध में सहायता देना।
12. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उदेश्यों की पूर्ति हेतु सामाजिक गतिशीलता के अन्तर्गत विभिन्न विभागों/एजेन्सियों से समन्वयन के आधार पर लिंकेज के माध्यम से शहरी गरीबों के समग्र विकास हेतु विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलावाना/सुगम कराना।
13. सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास उपघटक की सभी स्तरो हेतु रिपोर्टिंग सुनिश्चित कराना।
14. राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन के अन्तर्गत शहरों में कार्यरत अन्य मिशन प्रबन्धकों से घनिष्ठ कार्य सम्बन्धों के माध्यम से राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन शहर में सुनिश्चित कराना।
15. शहर मिशन प्रबन्धन इकाई (CMMU) द्वारा दिये गये अन्य सभी कार्यों का समयबद्ध सम्पादन करना।

कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार

1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से मिशन के दिशा निर्देशों में उल्लिखित गतिविधियों के बारें में जानकारी की पहुँच शहर में सभी स्टेक होल्डर तक सुनिश्चित कराना।
2. कौशल विकास प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट उपघटक को शहर में क्रियान्वित किये जाने हेतु मिशन के दिशा निर्देशो के क्रम में शहर हेतु कार्य योजना तैयार कर तदनुसार क्रियान्वयन कराना।
3. कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन (EST&P) के अन्तर्गत शहर को आवंटित लक्ष्यों को पूर्ण कराये जाने का उत्तरदायित्व।
4. कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (EST&P) के क्रियान्वयन हेतु शहर स्तर पर कौशल प्रदाता संस्थाओं एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओं को चिन्हित करना, इम्पैनल्ड संस्थाओं की सधन मानीटिरिंग कर गुणात्मक कौशल प्रशिक्षण सुनिश्चित कराना।
5. सामुदायिक आयोजको को आवश्यकतानुसार सतत् तकनीकी सहायता सुनिश्चित कराना।
6. इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, स्किल डेवलेपमेंट मिशन, स्किल सेक्टर कौंसिल, संबंधित विभागों, सन्दर्भ संस्थानों एवं अन्य संबंधित एजेन्सियों से कौशल विकास प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट हेतु समन्वय के आधार पर प्रशिक्षित लाभार्थियों का प्लेसमेन्ट सुनिश्चित कराना।
7. कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (EST&P) उपघटक की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना।

8. राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन के अन्तर्गत शहरों में कार्यरत अन्य मिशन प्रबन्धकों से घनिष्ठ कार्य सम्बन्धों के माध्यम से राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन शहर में सुनिश्चित कराना।
9. शहर मिशन प्रबन्धन इकाई (CMMU) द्वारा दिये गये अन्य सभी कार्यों कर सम्पादन करना।

स्वरोजगार कार्यक्रम एण्ड माइक्रो इण्टरप्राइजेज

1. शहर में संबंधित सभी स्टेक होल्डर तक स्वरोजगार कार्यक्रम एण्ड माइक्रो इण्टरप्राइजेज
   हेतु राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के दिशा निर्देशों में उल्लिखित बिन्दुओं की पहुँच सुनिश्चित कराना।
2. शहर में स्वरोजगार कार्यक्रम एवं यूनिर्वसल फाइनेंशियल इन्कलूशन के क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना तैयार कर तदनुसार इस घटक के एजेण्डा का क्रियान्वयन कराना।
3. स्वरोजगार कार्यक्रम एवं यूनिर्वसल फाइनेंशियल इन्कलूशन के अन्तर्गत आवंटित लक्ष्यों को पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व।
4. समाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूह एवं अन्य सदस्यों का बैंक लिंकेज सुनिश्चित कराना।
5. शहर के शहरी गरीबों को माइक्रो इन्टरप्राइजेज की स्थापना एवं ऋणु की उपलब्धता में आवश्यक सभी सहयोग प्रदान कराना।
6. सामुदायिक आयोजको को आवश्यकतानुसार सतत् तकनीकि सहायता सुनिश्चित कराना।
7. शहरी गरीबों के स्वरोजगार की स्थापना एवं वित्तीय समावेशन हेतु संबंधित वित्तीय संस्थाओं (बैंक/एजेन्सी) एवं अन्य संबंधित विभागों से समन्वयक के माध्यम से लिंकेजेज सुनिश्चित कराना।
8. स्वरोजगार कार्यक्रम एवं यूनिर्वसल फाइनेंशियल इन्कलूशन की रिर्पोटिंग सुनिश्चित करना।
9. राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन के अन्तर्गत शहरों में कार्यरत अन्य मिशन प्रबन्धकों से घनिष्ठ कार्य सम्बन्धों के माध्यम से राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन शहर में सुनिश्चित कराना।
10. शहर मिशन प्रबन्धन इकाई (CMMU) द्वारा दिये गये अन्य सभी कार्यों कर समयबद्ध सम्पादन करना।
11. SEP हेतु लगर स्तर पर गठित टास्क फोर्स की समय–समय पर बैठक आयोजित कराना।

अभिनवी एवं विशेष परियोजनाएं

1. अभिनवी एवं विशेष परियोजनाओं के प्रस्ताव मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार कराकर शहर विशेष की आवश्यकता के परिपेक्ष्य में निर्देशों के क्रम में परीक्षण कर SMMU को उपलब्ध कराना।
2. अभिनवी परियोजनाओं के स्वीकृत हेतु समन्वयन।
3. अभिनवी परियोजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं देख–रेख तथा रिपोर्टिंग का उत्तरदायित्व।

(MIS & ME) का इम्पलीमेंन्टेशन

1. राज्य शहरी आजीविका मिशन के सभी उपघटकों (अभिनवी एवं विशेष परियोजना सहित) की मानीटरिंग हेतु कार्य योजना तैयार कर तदनुसार मानीटरिंग करना।
2. राज्य शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत सभी घटको का NULM MIS का सूचारु रुप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, MIS मैनुअल का अध्ययन कर MIS पर सभी घटकों के शहर स्तरीय आकड़ों को अपलोड कर नियमित अपडेट करना, आन लाइन मासिक प्रगति रिपोर्ट राज्य शहर मिशन प्रबंधन इकाई को भेजना तथा राज्य/शहर स्तर पर समय–समय पर मांगी जाने वाली विभिन्न आख्याओं को तैयार कर ससमय उपलब्ध कराना, मासिक रिपोर्ट राज्य शहरी मिशन प्रबंधन इकाई को भेजना।
3. शहर में सभी उपघटकों की मानीटरिंग ससमय करना।
4. ससमय राज्य मिशन प्रबंधन इकाई को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एवं अन्य रिपोर्ट की उपलब्धता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व।
5. सामुदायिक आयोजको को आवश्यकतानुसार सतत् तकनीकी सहायता देना।
6. शहर स्तर पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सभी उपघटकों (अभिनवी एवं विशेष परियोजना सहित) की मानीटरिंग एवं रिपोर्टिंग व्यवस्था विकसित करना जैसे बेसलाइन स्टडी, मासिक प्रगति आख्या, प्रक्रियात्मक अभिलेख (Process Documentation) आदि।
7. राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन के अन्तर्गत शहरों में कार्यरत अन्य मिशन प्रबन्धकों से घनिष्ठ कार्य सम्बन्धों के माध्यम से राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन शहर में सुनिश्चित कराना।
8. शहर मिशन प्रबन्धन इकाई (CMMU) द्वारा दिये गये अन्य सभी कार्यों कर समयबद्ध सम्पादन करना।